यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून** के माह 08/2012 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अभेन्दर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं डॉ॰ सतीश पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 30.05.2018 से 02.06.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मा॰)/ कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा॰) का समन्वय एवं नियंत्रण का कार्य किया जाता है। उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा के समूह क एवं ख के सभी अधिकारीयों के सेवा संबन्धित प्रकरण, निदेशालय से समन्वय, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, साक्षारता का अनुश्रवन एवं भारत सरकार से संचालित एवं राज्य सहायतित अन्य समस्त योजनाओ मे भारत सरकार से समन्वय एवं अनुश्रवन तथा जिला स्तर पर प्रभारी के कार्य का निर्वहन किया जाता है वार्षिक प्लान/बजट/निर्माण सम्बन्धी कार्य तथा मिनिस्टीरियल कार्मिकों की पदोन्नति, स्थानांतरण का अनुमोदन सम्बन्धी कार्य किया जाता है।

कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य का जनपद देहरादून है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2012-13								
2013-14								
2014-15								
2015-16			142.57	142.42				0.15
2016-17			182.37	182.22				0.15
2017-18			180.93	180.82				0.11

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः **(` लाख में)**

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत(-)
2012-13	**शून्य**					
2013-14						
2014-15						
2015-16						
2016-17						
2017-18						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई स श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. अपर सचिव/महानिदेशक
3. निदेशक मध्यमिक शिक्षा
4. मंडलीय अपर निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी
6. जिला शिक्षा अधिकारी मध्यमिक/ जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी /उप शिक्षा अधिकारी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017, 03/2016 एवं 03/2013 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 1:- ` 45.00 लाख 3 वर्षो से अवरुद्ध रखना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI के प्रस्तर 378 के अनुसार जब तक उत्तरदायी सिविल ऑफिसर द्वारा कार्यदायी संस्था को भूमि उपलब्ध न करा दी जाए, तब तक कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त नहीं कि जानी चाहिए। राज्य सेक्टर के अंतर्गत राजकीय इंटर कलेज, अटाल के भवन के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 510/XXIV-3/15/03(22) 2012 दिनाक 31.03.2015 ₹ 146.00 लाख की वित्तीय एवम प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, तथा निर्माण इकाई उत्तराखंड पेयजल निगम, विकास नगर को वर्ष 2015-16 मे प्रथम किश्त के रूप मे रुपया 45.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। अभिलेखों की संवीक्षा मे पाया गया कि पत्रांक 1276/निविदा/103 दिनाक 02.05.2018 के अनुसार उक्त निर्माण कार्य प्रथम किश्त हस्तगत कराये जाने के लगभग तीन वर्ष के उपरान्त दिनांक 02-05-2018 को प्रारम्भ किया जा सका। कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ में विलम्ब का कारण कार्यदायी संस्था को विभाग द्वारा कार्यस्थल उपलब्ध न कराया जाना बताया गया। विलम्ब से कार्य प्रारम्भ किये जाने से कार्य की लागत मे वृद्धि की समभ्व्ना से इंकार नही किया जा सकता इसी पत्र मे कार्यदायी संस्था द्वरा उक्त निर्माण कार्य हेतु ₹ 168.00 लाख का आगणन किया गया है साथ ही कार्य पूर्ण होने के संभावित तिथि 01.11.2019 दर्शायी गयी है तथा इस प्रकार ₹ 45.00 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था के पास लगभग तीन वर्ष तक अवरुद्ध पड़ी हुई थी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कार्यालय ने उत्तर में बताया कि उक्त भवन के धवस्तीकरन की प्रकिया को समय से पूर्ण न किया जाना के कारण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ हुआ अत: इस प्रकार कार्यालय द्वारा दिये गये उत्तर स्पष्ट है कि ` 45.00 लाख के धनराशि को 3 वर्षो तक अवरुद्ध रखा गया। अत: इस प्रकार शासकीय धन को लगभग 3 वर्षो तक अवरुद्ध रखना वित्तीय नियमों के विरूद्ध था।

अतः प्रकरण शासन/उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 2 :- ₹156.12 लाख धनराशि के अभिलेख अप्रस्तुत।

माह मार्च 2016 की विस्तृत लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि कार्यालय द्वारा दिनांक 11.03.2016 को अनुदान संख्या 07 से बिल संख्या 236, वाउचर संख्या B20490001 द्वारा ₹ 1,56,11,532.00 की धनराशि आहरित एवं वितरित की गयी। जांच मे यह पाया गया की उक्त धनराशि भुगतान के सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। माह मार्च 2016 के BM-05 (Treasury Reconciliation Statement) में भी उक्त धनराशि के सम्बन्ध में न तो कोई टिप्पणी की गयी है और न ही कोषागार को इस सम्बन्ध मे सूचित किया गया।

लेखापरीक्षा मे इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा कि कोषागार से इस सम्बन्ध में पत्र द्वारा पृक्षा कर सूचना प्राप्त होने पर आपको सूचना साक्ष्यों सहित प्रेषित कर दी जाएगी। इकाई द्वारा ₹ 156.12 लाख धनराशि के अभिलेख प्रस्तुत न करना स्वीकार किया है व कोषागार से इस सम्बन्ध मे सूचना के लिए लिखा गया।

अत: ₹ 156.12 लाख धनराशि के अभिलेख प्रस्तुत न करने का प्रकरण उच्च अधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता है |

भाग 2 ब

प्रस्तर 3:- ₹ 0.90 लाख की धनराशि के व्यय सम्बन्धी साक्ष्य एवं उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध न होना |

शासनादेश सं. 2237/XXIV-3/17/02(22)2013 दिनांक 23 मार्च 2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान सं. 11 आयोजनागत के अधीन प्रदेश में हाईस्कूल तथा इंटरमिडियट की परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की माताओं को स्व. कमला नेहरू पुरस्कार दिये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

माह मार्च 2017 की विस्तृत जांच में पाया गया कि उक्त कार्य हेतु दिनांक 31.03.2017 को रु 90,000 की धनराशि कार्यालय द्वारा आहरित की गयी। एवं दिनांक 05.06.2017 को लाभार्थियों को वितरण हेतु विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को उनके बैंक खातों मे अन्तरित की गयी। समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को उक्त गतिविधियो की फोटो एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषित करने का दायित्व सौपा गया।

जांच मे आगे पाया गया कि उक्त धनराशि के संबन्धित लाभार्थियों को प्राप्त होने एवं समस्त धनराशि व्यय किए जाने के साक्ष्य इकाई के पास उपलब्ध नहीं है। और न ही उपभोग प्रमाणपत्र उपलब्ध है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे कहा कि साक्ष्य एवं उपभोग प्रमाणपत्र खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गए है। समस्त साक्ष्य एवं उपभोग प्रमाणपत्र खण्ड कार्यालयो से प्राप्त कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा। इकाई के उत्तर से आपत्ति कि स्वयं पुष्टि हो जाती है।

अत: ₹ 0.90 लाख धनराशि के व्यय सम्बन्धी साक्ष्य एवं उपभोग प्रमाणपत्र उपलब्ध न होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

STAN

प्रस्तर 1:- ` **6.96 लाख उपकर की कटौती।**

शासनादेश संख्या 1861/छ-24-बी.ए.ओ.सी/2010 दिनाक 15.06.2012 के अनुसार भवन एव अन्य सनिर्माण कल्याण उपकर अधिनियम, 1998 एव केंद सरकार द्वारा बनायी गयी उपकर नियमावली 1998 के अन्तरगत निर्माण लागत का भुगतान किया जाता है तो भुगतान की गयी धनराशि पर 1% उपकर के रूप मे संग्रह करके धनराशि का बैंक ड्राफ्ट सचिव, उत्तराखण्ड भवन एव अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रर्म भवन, हल्द्वानी को प्रेषित किया जाना चाहिये। विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखो की जाच की में पाया की विभाग द्वारा निर्माण की लागत पर ₹ 695.64 लाख की धनराशि का भुगतान किया गया। विभाग द्वारा उक्त धनराशि पर रुपया 6.96 लाख का उपकर की कटौती की जानी चाहिये थी, व उक्त धनराशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव, उत्तराखण्ड भवन एव अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रर्म भवन, हल्द्वानी को प्रेषित किया जाना चाहिये। परन्तु विभाग द्वारा उक्त धनराशि पर ₹ 6.96 लाख का उपकर की कटौती नही की गई।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि उच्चधिकारियों व सचिव, उत्तराखण्ड भवन एव अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, दिशा निर्देश न होने के कारण उपकर की कटौती नही की गई। भविषय मे दिशा निर्देश प्राप्त कर उपकर की कटौती जायेगी।

अत: इस प्रकार कार्यालय द्वारा दिये उत्तर से पुषिट होती है कि कार्यालय द्वारा कि ` 6.96 लाख उपकर की कटौती नही कि गयी।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**
-	-	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

……Nil……

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   मार्च 2013 के BM 05 मे प्रदर्शित समस्त बिल/वाउचर
2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र0स0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री एस॰ पी॰ खाली	मु॰शि॰अ॰	04-08-2012 से 29-09-2016 तक
2.	डॉ॰ एम॰ के॰ सती	मु॰शि॰अ॰	30-09-2016 से 19-05-2017 तक
3.	श्री एस॰ बी॰ जोशी	मु॰शि॰अ॰	20-05-2017 से अविरल

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.